प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनांक 21.02.2026**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 25/26 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से मन्दिर में चोरी किया हुआ दान पात्र व नगदी (503 रुपये) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.02.2026 को थाना छपरौली पर आवेदक श्री लोकेश शर्मा पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम जागौस थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा मन्दिर का ताला तोडकर दान पात्र चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 25/26 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

नोट—उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान 01 अभियुक्त रविन्द्र उर्फ मंगू पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम जागौस थाना छपरौली जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया तथा चोरी का सामान बरामद होने पर धारा 317(2) बीएनस की वृद्धि गयी है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 25/26 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से मन्दिर में चोरी किया हुआ दान पात्र व नगदी (503 रुपये) बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.रविन्द्र उर्फ मंगू पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम जागौस थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ दान पात्र
- नगदी (503 रुपये)

घटना का अनावरण व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
2- है0का0 213 मोहित खैनी थाना छपरौली जनपद बागपत।
3- का0 411 पीयूष त्यागी थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा **दिनाँक 21.02.26**

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से **एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।**

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा **पर मु0अ0स0 45/26 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शकील पुत्र नूरू निवासी ईदगाह के पास कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- **एक अवैध चाकू।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस **टीमः-**

1-**उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।**

2-**है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत**

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 21-02-2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 261/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.10.2025 को वादी श्री प्रवेन्द्र उर्फ भुट्टू पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम बदरखा, थाना छपरौली, जनपद बागपत द्वारा थाना छपरौली पर लिखित तहरीर दी गई कि बच्चों द्वारा पटाखे जलाने के विवाद से क्षुब्ध होकर अभियुक्तों 1-मेहरूद्दीन, 2. यामीन, 3. सलीम, 4. वसीम, 5. शादीन, 6. इस्लाम, 7. समीर पुत्र इस्लाम, 8. सैम पुत्र इस्लाम, 9. सादा उर्फ शमशाद पुत्र हनीफ, 10. आश मोहम्मद पुत्र सादा, 11. आश पुत्र सादा, 12. आसिफ पुत्र सादा, 13. चैपी पुत्र सादा, 14. प्रवीन पुत्र इस्लाम, 02 महिला तथा अन्य अज्ञात अभियुक्त समस्त निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडे, तबल व अन्य हथियार लेकर वादी के घर में घुस गए। अभियुक्तों द्वारा वादी एवं उसके परिजनों के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट, गाली-गलौज की गई, जिससे वादी प्रवेन्द्र, उसका भाई अरविन्द, पिता करण सिंह, माता, पत्नी एवं भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के दौरान वादी के पिता के दाहिने पैर एवं वादी के बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार

पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 261/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- उक्त अभियोग में पूर्व में 02 अभियुक्ता सहित अन्य 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जिला कारागार बागपत में निरुद्ध किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 261/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109(1)/333/117(2) बीएनएस में वांछित 01 एक अभियुक्त समीर पुत्र इस्लाम को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त के सम्बन्ध मे आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.समीर पुत्र इस्लाम उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना छपरौली बागपत।

2-का0 411 पीयूष त्यागी थाना छपरौली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 21.02.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद ।

कार्यवाही--

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 111/26 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाऐ । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक पुत्र कर्मवीर सिंह निवासी रामपार्क थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध पिस्टल .32 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 अनिल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2-है0का0 415 रविन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

3-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत